जालौन पुलिस

112 उत्तर प्रदेश पुलिस

Operation Conviction

धोखाधड़ी के अभियोग में 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (सीजेएम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

कोतवाली उरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1492/15 धारा 420/467/468/471 भादवि के अभियुक्तगण 1. रमनदीप उर्फ सनी पुत्र स्व0 बृजेन्द्र सिंह नि0 द्वारिका नई दिल्ली 2. करूणेश शर्मा पुत्र स्व0 वीरेन्द्र शर्मा नि0 ओल्ड माधवनगर जनपद सहारनपुर उ0प्र0 को माननीय न्यायालय (सीजेएम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 07-07 वर्ष का कारावास एवं 7,500-7,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
विनोद कुमार



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



उ0नि0 राजेन्द्र सिंह
कोर्ट मुहर्रिर



का0 हृदेश यादव
कोर्ट पैरोकार

@jalaunpolice